प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 03.08.2022

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः—

थाना धौरहरा पुलिस द्वारा, 01 अदद अवैध तमंचा बरामद करके अभियुक्त असीरुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी धौरहरा महोदय के कुशल मार्गदर्शन में आज दिनांक **03.08.2022** को थाना धौरहरा पुलिस द्वारा गस्त व चेकिंग के दौरान टहारा पुलिया, बहद ग्राम टहारा से **01** अदद अवैध देशी तमंचा **315** बोर सहित अभियुक्त असीरुद्दीन अंसारी पुत्र जहिरुद्दीन निवासी ग्राम सेमरी थाना धौरहरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना धौरहरा पर आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

असीरुद्दीन अंसारी पुत्र जहिरुद्दीन निवासी ग्राम सेमरी थाना धौरहरा जनपद खीरी

बरामदगी-

01 अदद अवैध देशी तमंचा **315** बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1.उ**0**नि**0** योगेश कुमार शंखधर, थाना धौरहरा
2.हे**0**का**0** राकेश राजपूत, थाना धौरहरा
3.का**0** प्रकाश द्विवेदी, थाना धौरहरा

थाना सम्पूर्णानगर पुलिस द्वारा, 14 वर्षीय गुमशुदा बालक अखण्ड प्रताप को महज 14 घंटे के अंदर सकुशल बरामद करके परिजन के सुपुर्द किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुमशुदा/अपहृत व्यक्तियों के सकुशल बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी पलिया महोदय के कुशल मार्गदर्शन में आज दिनांक 03.08.2022 को थाना सम्पूर्णानगर पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 193/22 धारा 363 भादवि से संबंधित गुमशुदा बालक अखण्ड प्रताप पुत्र राजपाल निवासी इंद्रानगर मजरा पश्चिम थाना सम्पूर्णाननगर जनपद खीरी को महज 14 घंटे के अंदर कैसरबाग बस अड्डा, लखनऊ से सकुशल बरामद करके परिवारीजन के सुपुर्द किया गया। बालक ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह अपने छोटे भाई से मोबाइल चलाने की बात को लेकर नाराज होकर लखनऊ चला गया था।

<u>बरामद गुमशुदा का विवरण:-</u>

अखण्ड प्रताप पुत्र राजपाल निवासी इंद्रानगर मजरा पश्चिम थाना सम्पूर्णाननगर जनपद खीरी उम्र 14 वर्ष

<u>बरामदगी का स्थान:-</u>

कैसरबाग बस अड्डा, लखनऊ

<u>बरामद करने वाली पुलिस टीम</u>

1.उ०नि० आशीष सहरावत , थाना सम्पूर्णानगर
2.हे०का० रामनरेश, थाना सम्पूर्णानगर
3.का० अचल वर्मा, थाना सम्पूर्णानगर

थाना पसगवां पुलिस द्वारा, जानलेवा हमले की घटना का किया गया सफल अनावरण, वादिनी का पति अभियुक्त रिषीराम उर्फ बडक्के को घटना में प्रयुक्त 01 अदद रायफल तथा अवैध तमंचा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ़्तारी हेतु चलाये जा अभियान के अन्तर्गत क्षेत्राधिकारी मोहम्मदी महोदय के कुशल मार्गदशर्न में आज दिनांक 03.08.2022 को थाना पसगवां पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 341/2022 धारा 307/323/504 भादवि का सफल अनावरण करते हुए वादिनी के पति अभियुक्त रिषीराम उर्फ बडक्के को घटना में प्रयुक्त 01 अदद देशी रायफल 315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस व 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा 01 अदद देशी तमन्चा 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस सहित बहद ग्राम सर्वांगपुर थाना पसगवां से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना पसगवां पर आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 27.07.2022 को वादिनी मुकदमा द्वारा स्वंय के पति को गोली मारने, गाली गलौज व मारने पीटने विषयक तहरीर देकर थाना पसगवाँ पर मु0अ0स0 341/2022 धारा 307/323/504 भादवि विरूद्ध 1. छविनाथ पुत्र प्रभुदयाल नि0 शाहपुर जागीर थाना मोहम्मदी खीरी 2. राजेन्द्र पुत्र चेतराम नि0ग्राम सर्वांगपुर थाना पसगवां खीरी 3. एक अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत कराया था। विवेचना के दौरान गहनता से छानबीन की गयी तो ज्ञात हुआ कि वादिनी मुकदमा के पति रिषीराम का विपक्षी छविनाथ व राजेन्द्र उपरोक्त से जमीनी विवाद चल रहा था और उसी रंजिश को लेकर रिषीराम के द्वारा षडयंत्र रचकर अभियुक्त छविनाथ व राजेन्द्र उपरोक्त को फंसाने के लिये व जमीन हासिल करने के उद्देश्य से स्वंय के राइफल से अपने हाथ में गोली मारी गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-
1. रिषीराम उर्फ बडक्के पुत्र मुन्नेलाल नि0ग्राम सर्वांगपुर थाना पसगवां जनपद खीरी

बरामदगीः-

घटना में प्रयुक्त 01 अदद देशी रायफल 315 बोर
02 अदद खोखा कारतूस
03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
01 अदद देशी तमन्चा 315 बोर
01 अदद खोखा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 आदित्य प्रताप सिंह, थाना पसगवां
2.उ0नि0 मोहित पुण्डीर, थाना पसगवां
3.हे0का0 रामेन्द्र सिंह, थाना पसगवां
4.का0 दीपक कुमार, थाना पसगवां
5.का0 जगमोहन, थाना पसगवां

थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद करके अभियुक्त साहिल धानुर पुत्र सुनील कुमार को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अभियुक्त साहिल धानुर पुत्र सुनील कुमार को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना कोतवाली सदर पर आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा गया है।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही निम्नकार्यवाहीकीगईहै:-

1. थाना नीमगांव पुलिस द्वारा, अ0सं0 2945/16 धारा 60 आबकारी अधिनियम में वारण्टी अभियुक्त रामचन्द्र पुत्र तेजा नि0 बेलाबोडी थाना नीमगांव जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 200 लीटर अवैध शराब बरामद कर 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **200 लीटर अवैध** कच्ची शराब व **01** अवैध शराब भट्ठी बरामद कर **15 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **13 अभियोग** पंजीकृत किए गए।